

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012के अंतर्गत प्रिति कुमारी पति-
रविन्द्र कुमार ग्राम: कुमरांग- खुर्द, थाना: टंडवा, ज़िला: घतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957
आधिनियम के तहत ग्राम: - कुमरांग- खुर्द; थाना सं. 51 खाता सं.- 3; के अधीन प्लॉट सं.-6,
328, 258, 221, 259, 82, 59, 229; खाता सं.- 11; के अधीन प्लॉट सं.-79; खाता सं.- 22;
के अधीन प्लॉट सं.-88, 169, 283, 284, 285; ग्राम: - कुमरांग-कला, थाना सं. 52; खाता सं.-
4; के अधीन प्लॉट सं.-4, 187, 72, 178, 206, 384, 435, 25; खाता सं.- 31; के अधीन प्लॉट सं.-
199; खाता सं.- 59; के अधीन प्लॉट सं.-585; खाता सं.- 61; के अधीन प्लॉट सं.-
59, 518, 577; खाता सं.- 19; के अधीन प्लॉट सं.-339; खाता सं.- 14; के अधीन प्लॉट सं.-
445; खाता सं.- 94/15; के अधीन प्लॉट सं.-357; कुल रकम: -2.00 एकड़ (रेयती भूमि) के
अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस
सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट http://www.centralcoalfIELDS.in/lnDSK/noti_empl_Ind.php
पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य
के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) रॉची एवं क्षेत्रिय
महाप्रबंधक (आम्रपाली - चन्द्रगुप्त), सी.सी.एल. के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर पंद्रह दिनो के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो
यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।


05/02/2025.